अभिभावकों के लिए आचार्यकुलम के नियम

सामान्य नियम:

1. एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को दिवाली के लिए बीस दिन इसके अलावा कक्षा X से XII के PCA विद्यार्थियों को 10 दिन की मध्यावधि छुट्टी दी जाएगी | विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों के लिए तीस दिन घर जाने की अनुमति होती है। इसके अलावा कक्षा X से XII के PCA विद्यार्थियों को 15 दिन की गर्मियों की छुट्टी दी जाएगी।
2. अपरिहार्य परिस्थितियों या किसी आपात स्थिति में विद्यार्थी को स्कूल के प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति से एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 5 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी की मंजूरी के बिना स्कूल से अनुपस्थित रहने पर 500 (पांच सौ) रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी प्रधानाचार्य को लिखित सूचना दिए बिना लगातार 15 दिन या उससे अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम प्रवेश रजिस्टर से काट दिया जाएगा।
3. विद्यार्थी के जन्मदिवस पर माता- पिता से मिलने की 3 घंटे मिलने की अनुमति है, इस दौरान माता-पिता विद्यार्थी को बाहर घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं | माता पिता यदि चाहे तों अपने बच्चे के साथ प्रातः कालीन हवन और प्रार्थना सभा में बच्चे को आशीर्वाद देने हेतु शामिल हो सकते हैं ।
4. जन्मदिन भ्रमण, अवकाश समाप्ति के पश्चात छात्रावास में वापिस आने वाले विद्यार्थियों को शाम 7:00 बजे तक ही छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा । किसी भी असुविधा से बचने के लिए कृपया दिए गए समय का पालन करें।
5. विद्यार्थियों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पखवाड़े (15 दिन) में एक बार अभिभावकों के साथ ऑडियो / वीडियो कॉल की सुविधा दी गयी है।
6. विद्यालय कैलेंडर में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अभिभावकों को प्रत्येकअभिभावक शिक्षक-बैठक (पीटीएम) में उपस्थित होना अनिवार्य है। केवल माता पिता और उनके द्वारा अनुमोदित अभिभावक ही प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति से परिसर में अपने बच्चों से मिल सकते हैं।
7. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे जन्मदिन पर मिठाई वितरण के लिए अपनी पूछताछ या ऑर्डर sweets@acharyakuam.org पर ईमेल के माध्यम से भेजें। मिठाई संलग्न सूची से मंगवाई जा सकती है। सर्दियों के मौसम में, सूखे मेवे और घर की बनी मिठाइयाँ कम मात्रा में भेजने की अनुमति है, (अधिकतम एक किलो)
8. विद्यार्थयों की आवश्यकतानुसार मान्य वस्तुओं की आपूर्ति विद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाएगी जिसकी कीमत विद्यार्थी के इम्प्रेस्ट अकाउंट से काटी जाएगी |
9. प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को अनुशासन, शालीनता और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। किसी विद्यार्थी या माता-पिता द्वारा संस्थान के प्रति कोई भी कार्य या शरारत, नियमों का उल्लंघन, अवज्ञा या विश्वासघात को अनुशासनहीनता का कार्य माना जा सकता है। किसी विद्यार्थी को दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता या विद्यालय के नियमों और विनियमों की अवहेलना के आधार पर निष्कासित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10. विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान के लिए लगाए गए जुर्माने की राशि विद्यार्थियों से ली जाएगी। लापरवाही से नुकसान पहुंचाने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है।
11. विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (Smart Watch, Phone, Laptop, I-Pod etc) महंगे सामान और डब्बा बंद खाद्य पदार्थ लाने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, येलो कार्ड, रेड कार्ड और निर्धारित दंड दिया जाएगा और सामान जब्त कर लिया जाएगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
12. विद्यार्थी के जन्मदिवस पर माता- पिता से मिलने की 3 घंटे मिलने की अनुमति है, इस दौरान माता-पिता विद्यार्थी को बाहर घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं | माता पिता यदि चाहे तों अपने बच्चे के साथ प्रातः कालीन हवन और प्रार्थना सभा में बच्चे को आशीर्वाद देने हेतु शामिल हो सकते हैं ।
13. किसी भी चिकित्सा स्थिति, एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को छात्रावास प्रबंधन के साथ साझा करें।
14. विद्यालय द्वारा भेजे गए सभी संदेशों का जल्द से जल्द जवाब दें।
15. माता-पिता के पते , टेलीफोन या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में माता-पिता को तुरंत विद्यालय प्रबंधन को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।
16. संस्थान द्वारा विद्यार्थी के माता-पिता \अभिभावक को किसी कारणवश बुलाने पर उन्हें निश्चित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है |
17. अभिभावकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति में छात्रावास -कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी |
18. उपनयन के समय सभी नवीन विद्यार्थियों का मुंडन संस्कार किया जाता है | जो सभी के लिए अनिवार्य है |अभिभावक भी वैदिक संस्कृति के प्रतीक चिन्हों यथा-शिखा-सूत्र (यज्ञोपवित) का सम्मान करेंगे और अन्यों को भी धारण हेतु प्रोत्साहित करेंगे |
19. अभिभावकों से अपेक्षा की जाती ही कि राष्ट्रधर्म को सर्वोपरी मानते हुए स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करें |
20. विद्यार्थी जिस भी विषय विशेष में रूचि दिखायेगा यथा-खेल-कूद,योगासन ,गायन-वादन,अनुसन्धान,साहित्य-लेखन, चित्रकारी ,विभिन्न भाषाओं के ज्ञान आदि के लिए समय-समय पर उनका मार्गदर्शन एवम् प्रदर्शन कराया जायेगा , जिससे उनके अन्दर कला-कौशल का विकास हो सके | अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा और सहभागिता के लिए अन्य संस्थानों में भी भेजा जायेगा |
21. आचार्यकुलम परिसर में प्रवेश के समय विद्यार्थी के सामान की जाँच निरीक्षक अधिकारी द्वारा जाएगी तथा अमान्य वस्तुओं को छात्रावास के अन्दर लाने की अनुमति नहीं होगी |
22. अवकाश पर अकेले घर जाने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता अपने बच्चों की एनओसी और विवरण (यात्रा का तरीका, स्थान, समय, मोबाइल आदि) प्रिंसिपल/वार्डन को दिए गए मेल आईडी (info@acharyakulam.org) पर प्रस्तुत करेंगे।
23. गणवेश (यूनिफॉर्म)

(क) **बाल**- लंबे बालों वाली लड़कियों को हमेशा चोटी बनाकर रखना चाहिए। लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए जो शर्ट के कॉलर के ऊपर, कानों के ऊपर और चेहरे से दूर हों। किसी के भी बाल कृत्रिम रूप से रंगे नहीं होने चाहिए और हेयरस्टाइल में रेजर नहीं लगाया जाना चाहिए। लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिखा (चोटी) बनाए रखें। सभी विद्यार्थी परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करते हैं।

(ख) **सादा जीवन, उच्च विचार |**

यही है जीवन का आधार |

इसी से होगा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ||

- **आभूषण** -विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महंगे और भावनात्मक आभूषण न पहनें क्योंकि इनके खो जाने का खतरा है और विद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा । स्टड-इयररिंग का एक सेट केवल लड़कियों द्वारा पहना जाना चाहिए। शारीरिक साज सज्जा हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री रखने की और प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी । विद्यार्थी टेलकम पाउडर रख सकते हैं |

(ग) **दाढ़ी-** लड़कों को विद्यालय में दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है |

(घ) सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में साफ़ सुथरे और सुनिश्चित किये गए गणवेश में रहना चाहिए। अपने बच्चों को सीमित संख्या में कैजुअल ड्रेस (प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्र) उपलब्ध कराएँ।

28.अभिभावकों के मध्य व्हाट्स ग्रुप पर होने वाली चर्चा कि सत्यता की परख हेतु अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विद्यालय प्रबंधन से बात करके ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए|

छात्रावास प्रबंधन को छात्रों की वस्तुओं की सूची जमा करें|